ऑन लाईन नं. GCMS 2026/71

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 17/2026

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री योगेश मुंजराल पुत्र श्री नरेन्द्र मुंजराल (विक्रेता व मैनेजर), मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर, निवासी गली नं. 11, वार्ड न. 26, सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगागनर।
2. श्री अमन कुमार पोखरना पुत्र श्री राजेश कुमार पोखरना(मालिक), मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर, निवासी– ऐ–6, ग्रीन फील्ड एवेन्यु, जस्सा सिंह मार्ग, राजवंश गार्डन के पास, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 22.05.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्वा / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.01.2026 को समय 04.30 पी.एम. बजे को मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, मौके **श्री योगेश मुंजराल पुत्र श्री नरेन्द्र मुंजराल** को अपना परिचय देकर उक्त संस्थान की रसोई का निरीक्षण कर आमजन को रेस्टोरेंट में मैन्यू अनुसार तेयार पनीर टिक्का मसाला में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉच वास्ते खाद्य पदार्थ तैयार पनीर टिक्का मसाला का नमुना लेने की इच्छा प्रोपराइटर को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म नं 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री योगेश मुंजराल (विक्रेता व मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खायकारोबारकर्ता एवं **श्री योगेश मुंजराल (विक्रेता व मैनेजर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म स. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैन्यू अनुसार खाद्य पदार्थ तैयार पनीर टिक्का मसाला 02 किलोग्राम को मैनेजर से खरीद कर लिया। मैनेजर को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ का नगद भुगतान 1000 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर मैनेजर तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **तैयार पनीर टिक्का मसाला** 02 किलो को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–3291** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एव खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागों को. अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न **के–3291** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक, गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नंगूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपठी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं प्रोपराइटर के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। बारो नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द बारी नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मैनेजर तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री योगेश मुंजराल (विक्रेता व मैनेजर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S./36/Act/2026/36 Dated 20-01-2026 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-3291 SubStandard Food** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **योगेश मुंजराल पुत्र श्री नरेन्द्र मुंजराल (विकेता व मैनेजर) और अमन कुमार पोखरना पुत्र श्री राजेश कुमार पोखरना(मालिक),**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का **तैयार पनीर टिक्का मसाला** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 08.05.2026 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी अमन कुमार पोखरना, निवासी ऐ–6, ग्रीन फील्ड, जस्सा सिंह मार्ग, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी **मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर** का मालिक है एवं प्रार्थी योगेश मुंजराल निवासी सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर को रहने वाला है तथा प्रार्थी **मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर** का मैनेजर है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 925/26 दिनांक 14.05.2026 का दिया है कि आपके होटल में पनीर टिका मसाला की जांच की गई तो पनीर टिका मसाला सबस्टेंडर्ड फूड पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त पनीर टिक्का मसाला में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण संख्या 17/2026 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **तैयार पनीर टिक्का मसाला** का सैम्पल **K-3291** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./36/Act/2026/36 Dated 20-01-2026 **SubStandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Prepared Paneer Tikka Masala"** bearing Code No and Sr. No. **K-3291**, of Designated Officer cum Chief

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Ghee as prescribed in food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **योगेश मुंजराल पुत्र श्री नरेन्द्र मुंजराल (विक्रेता व मैनेजर) और अमन कुमार पोखरना पुत्र श्री राजेश कुमार पोखरना(मालिक), मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **योगेश मुंजराल पुत्र श्री नरेन्द्र मुंजराल (विक्रेता व मैनेजर) और अमन कुमार पोखरना पुत्र श्री राजेश कुमार पोखरना(मालिक), मैसर्स– HOTEL GALAXY-N, शोरूम नं. 2, सूरतगढ़ रोड़, मुरब्बा नं. 25, ओपोजिट ऑरबिट रिसोर्ट, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 15,000—00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner